

भाग -2

| | | |
|--------|--|--|
| 7. | परियोजना का विवरण | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-लालगंज रोड, एन. एच.-335, (पुराना एन.एच. -232), किमी0 नं0-81 (चैनेज नं0-80.135) के मध्य दांयी पटरी पर खसरा संख्या 204 ग्राम-सारीपुर बेरा तहसील-फतेहपुर, जिला-फतेहपुर (उ0प्र0) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1903 हे0 का बिना वृक्ष पातन किये गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। |
| (I) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तर प्रदेश |
| (II) | जिला | फतेहपुर |
| (III) | वन प्रभाग | समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर |
| (IV) | वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में) | 0.1903 हे0 |
| (V) | वन कानून की स्थिति | संरक्षित |
| (VI) | हरियाली घनत्व | 0.3 |
| (VII) | प्रजातिवार(वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणीवार वृक्षों की पतिगणना (संलग्न की जाय। सिचाई/जलीय परियोजनों के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0आर0एल0-2 मी0 पर परिगणना और एफ0आर0एल0 4 मी0 भी संलग्न किये जाएं) | कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं है। |
| (VIII) | भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | अत्यन्त छोटा एवं पटरी के रूप में क्षेत्र होने के कारण भू-क्षरण के प्रति संवेदनशील नहीं है। |
| (IX) | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी पर | संरक्षित वन क्षेत्र में (0 किमी0) |
| (X) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथ कारीडोर आदि का भाग है (यदि हैं क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय) | नहीं |
| (XI) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हैं तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। | नहीं |
| (XII) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ0 तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो ,दें। | नहीं |
| 8 | एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य न्यूनतम है। |
| 9 | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है(हैं/ नहीं) यदि हैं, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी अभी भी चल रहे हैं। | नहीं |

| | | |
|-----|--|---|
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा | |
| I | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार | संलग्न है |
| II | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप | संलग्न है |
| III | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढाचा आदि | संलग्न है |
| IV | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय | प्रस्ताव के साथ संलग्न है। |
| V | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्तता के बारे में और प्रबन्धीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय) | संलग्न है |
| 11 | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7(XI)(XII), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए | संलग्न है |
| 12 | विभाग/ जिला प्रोफाइल | |
| I | जिले का भौगोलिक क्षेत्र | 415200 हेए |
| II | जिले का वन क्षेत्र | 7113.913 हेए |
| III | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र | 37मामले एवं 168.662908 हेए |
| IV | 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | - |
| क | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | 312.52124 हेए 39187 पौध का रोपण |
| ख | वनेत्तर भूमि पर | शून्य |
| ट | अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | |
| क | वन भूमि पर | 72.32630 हेए एवं 38947 पौध |
| ख | वनेत्तर भूमि पर | शून्य |
| 13 | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष | जनहित में प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। |


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
